



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

कमांक एफ 701( )पंरावि/प्रशा.2/सहा.अभि./स्थाना.पद./ल.मी./एपीओ/17/ 3002

जयपुर दिनांक-

—: आदेश :—

27/7/17

श्री लक्ष्मण मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता (मनरेगा), पंचायत समिति, सांगोद (कोटा) को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग किया जाता है ।

श्री मीणा, सहायक अभियन्ता तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति पंचायती राज मुख्यालय पर देवें ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

( राजेन्द्र शेखर मक्कड )  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
3. जिला कलेक्टर, कोटा ।
4. अति. / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा ।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. श्री लक्ष्मण मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता पातेय वेतन पर सहायक अभियन्ता (मनरेगा), पंचायत समिति, सांगोद (कोटा) ।
7. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव